न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/492

1. श्रीमती गीता पत्नी स्व0 राम प्रहलाद जी ।
2. कमलेश कुमार आत्मज स्व0 राम प्रहलाद ।
3. मनोज कुमार आत्मज स्व0 राम प्रहलाद जाति नाई निवासीगण ग्राम गन्दी फली तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल चारभुजा मंदिर की गली छावनी कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राधाकिशन आत्मज रामकल्याण ।
2. कैलाश आत्मज रामकल्याण जाति नाई निवासीगण ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. गुलाब चन्द आत्मज स्व0 रामकल्याण ।
4. जडाव चन्द आत्मज स्व0 रामकल्याण ।
5. रामस्वरूप आत्मज आनन्दीलाल ।
6. हरिनारायण आत्मज मोहन लाल जाति नाई निवासीगण ग्राम गन्दी फली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर ।
2. श्री चन्द्र मोहन कुशवाह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम

अरलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की कुल 04 किता की रकबा 2.96 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को डिक्री करते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.02.2016 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

4. तत्पश्चात् प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना बाबत् इजराय का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीण को माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पालना में पक्षकारान के बीच वाद में वर्णित आराजी का बंटवारा किया जाकर प्रार्थीगण को अंतिम डिक्री दिनांक 08.02.2016 को पारित की जाकर प्रार्थीगण को ग्राम अरल्या जागीर तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 14/1 के मध्य 0.30 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 31/1 मध्य रकबा 0.17 हैक्टर आराजी बंटवारे में दी गई जिसका नामान्तरकरण खोला जाकर उक्त भूमि को प्रार्थीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 667/14 मध्य 0.300 हैक्टर नहरी प्रथम तथा खसरा नम्बर 668/31 रकबा 0.1700 हैक्टर कायम किये गये हैं । प्रार्थीगण को विभाजन में दी गई भूमि पर भौतिक कब्जा नहीं दिया गया है और न ही उक्त आराजी का सीमांकन किया गया है । अतः प्रार्थीगण को उनके हिस्से में दी गई भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा दिया जावे तथा उक्त भूमि का सीमांकन कर उक्त सीमाकंन को राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.04.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो जाने के आधार पर खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2018 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर और प्रार्थीगण के पक्ष में जो भूमि दी गई है उसका सीमांकन नहीं किया गया है और न ही आराजी का प्रार्थीगण को भौतिक कब्जा मौके पर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इजराय आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2017 को पेश की गई जिस पर अपीलान्ट प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता को सुने बिना ही सरिश्ता रिपोर्ट के आधार पर इजराय दिनांक 05.04.2018 को खारिज की गई । जिस तरह से आदेश पारित किया है वह स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र सरिश्ता रिपोर्ट के आधार पर इजराय का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन दिनांक 16.04.2018 तक कोई आदेश नहीं देने पर दिनांक 17.04.2018 को नकल आदेश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन जानबूझकर रीडर व लिपिक द्वारा पत्रावली नकल के लिए एकल

खिडकी में नहीं भेजी जिसकी शिकायत जिला कलक्टर कोटा को दिनांक 28.06.2018 को की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 16.07.2018 को भेजने पर नकल दिनांक 19.07.2018 को प्राप्त हुई जिस पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि – विरूद्ध है । अंतिम डिक्री दिनांक 08.02.2016 को जारी की गई थी जिसके अनुसार आराजी का विभाजन किया गया था, विभाजन के अनुसार नामान्तरकरण खोला जाकर आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज की गई परन्तु अपीलान्ट मौके पर जाकर कब्जा नहीं दिया गया है व न ही सीमांकन किया गया है । इस कारण काश्त करने में परेशानी आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने इजराय प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट को सुने बिना ही सरिस्ता की रिपोर्ट पर दिनांक 05.04.2018 को इजराय का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं होने से निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अपीलान्ट ने दिनांक 06.04.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (4) 1997 पेज 508, आरआरडी 1986 पेज 583 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने किस प्रार्थना पत्र के खिलाफ अपील पेश की है, इजराय की अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अंतिम डिक्री की पालना हो चुकी है, खाता पृथक हो चुका है । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिस पर सरिस्ता लिपिक के द्वारा यह रिपोर्ट की गई – न्यायालय में अंतिम डिक्री के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है रिपोर्ट प्रस्तुत है । इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.04.2018 को रिपोर्ट के अनुसार इजराय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना अंकित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि विभाजन की अंतिम डिक्री हो जाने के बाद इजराय प्रार्थना पत्र का निरस्तारण करते समय अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था

कि अंतिम डिक्री के अनुसार कब्जा भी दिलाया जावे । सरिस्ता की रिपोर्ट के आधार पर सरसरी तौर पर इजराय प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है है । आरबीजे (4) 1997 पेज 508 के अनुसार इजराय प्रार्थना पत्र में पारित किये गये आदेश के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के इजराय प्रार्थना पत्र पर बिना सुनवाई किये सरिस्ते के रिपोर्ट के आधार पर इजराय प्रार्थना पत्र खारिज करने का जो आदेश पारित किया है वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । हम प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र में विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए पक्षकारान की सुनवाई करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 06.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा